अलग तरह की मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे

वसुंधरा राजे 'राजस्थान मॉडल' को आगे बढ़ा रही हैं। इस मॉडल की विकास संबंधी नीति के केंद्र में नीतिगत सुधार हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं

बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और ओडिशा इन चारों राज्यों ने पिछले एक दशक के दौरान अपने नागरिकों को वृद्घि और विकास के मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन से लाभान्वित किया है। इन चारों राज्यों में एक समानता है: इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन मुहैया कराया और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तथा अन्य सामाजिक योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया। अक्सर अर्थशास्त्री जिन नीतिगत सुधारों की वकालत करते हैं, वे उनकी नीति का हिस्सा नहीं थे। केंद्र सरकार और संविधान की अनुवर्ती सूची में शामिल क्षेत्रों ने केंद्र सरकार के कानूनों का आश्रय लिया और राज्य सूची के यदाकदा सामने आने वाले मामलों मसलन कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम और शहरी भूमि हदबंदी अधिनियम आदि को लेकर कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस छवि को तोड़ रही हैं। वह एक नए राजस्थान मॉडल का विकास कर रही हैं जिसमें नीतिगत सुधारों को विकास संबंधी नीति के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने अनुवर्ती सूची के अनेक कानूनों में सुधार से इसकी शुरुआत की जो रोजगार से जुड़े क्षेत्रों मसलन वस्त्र, फुटवियर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आवश्यक हैं और केंद्र जिन पर कार्रवाई का इच्छुक नहीं रहता।

राजे ने दिसंबर 2013 के चुनावों रोजगार निर्माण के चलते सशक्तीकरण की बात करते हुए शिरकत की और जबरदस्त जीत हासिल की। उनकी पार्टी को विधानसभा में 80 फीसदी से अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके बाद गत मई में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा ने राजस्थान में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की। इन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सफलताओं के बाद राजे अब प्रदेश को विकास और रोजगार के पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्घ हैं।

अन्य सफल मुख्यमंत्रियों की तर्ज पर वह भी प्रभावी प्रशासन और परियोजनाओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के महत्त्व को समझती हैं। जो बात उनको अपने समकक्ष लोगों से अलग करती हैं वह यह कि वह आर्थिक राजनीति को विकास और रोजगार निर्माण का माध्यम बनाने पर जोर देती हैं। इस मामले में वह गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों से भी आगे हैं जबकि इन राज्यों में उद्योग धंधों को पर्याप्त तवज्जो मिली है। लेकिन प्रमुख क्षेत्रों के पूंजी आधारित होने के चलते यहां रोजगार में सीमित बढ़ोतरी हुई है।

वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत महत्त्वपूर्ण श्रम सुधारों के साथ की। अर्थशास्त्रियों का लंबे समय से यह मानना था कि इन सुधारों की कमी की वजह से श्रम आधारित उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तीन प्रमुख कानूनों औद्योगिक विवाद निस्तारण अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम और अनुबंधित श्रम अधिनियम में सबसे पहले संशोधन की मंजूरी मिली। इसके बाद अप्रेंटिस ऐक्ट में संशोधन हुआ तथा बॉयलर अधिनियम को थोड़ा शिथिल किया गया। गत 31 जुलाई को राजस्थान विधानसभा ने संशोधन विधेयक पारित किए। अब इनको मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल की जा सके।

प्रस्तावित सुधारों के महत्त्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इन सुधारों से उन उद्योगपतियों के लिए संभावनाएं पैदा होती हैं जो मशीनों के बजाय हर संभव काम श्रमिकों से कराना चाहते हैं। मैंने पहले भी कई मौकों पर कहा है कि देश में श्रम कानूनों की दिक्कतों की वजह से उद्यमी श्रमिकों से दूरी बनाए रखते हैं। इसके बजाय वे मशीनों से काम लेना अधिक पसंद करते हैं। प्रस्तावित सुधार से यह प्रवृत्ति रुकेगी।

प्रतीकात्मकता की बात की जाए तो सुधार यह दिखाते हैं कि देश में कामकाज बहुत हद तक राज्यों की ओर स्थानांतरित हो गया है। एक साहसी और कल्पनाशील मुख्यमंत्री उन सुधारों को आगे बढ़ा रही है जिनको भारी बहुमत वाली केंद्र सरकार लोकसभा में पारित करा सकती है और इस तरह वे देश के समक्ष पेश किए जा सकते हैं। लेकिन गैरवविवादास्पद अप्रेंटिस ऐक्ट को छोड़ दिया जाए तो अब तक केंद्र सरकार ने इन सुधारों के मामले में कमोबेश खामोशी ओढ़ रखी है। राजे सरकार द्वारा सुधार के लिए आगे बढ़ाए गए औद्योगिक विवाद अधिनियम

के एक प्रमुख प्रावधान के मुताबिक 100 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली कंपनी को किसी भी कर्मचारी की छंटनी के पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है।

चूंकि राज्य सरकार ऐसी मंजूरी देने की इच्छुक नहीं होती हैं इसलिए किसी भी हालत में कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी नहीं कर पाती हैं। इससे कर्मचारियां 100 से अधिक कर्मचारियों को रखने में हिचकिचाती हैं। ऐसे में जब उनको अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी ही होती है तो वे पूंजी आधारित तकनीक की रुख करते हैं। वाहन उद्योग तथा मशीनरी क्षेत्र इसका उदाहरण हैं। राजस्थान सरकार ने जो संशोधन किए हैं उससे छंटनी के लिए न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या 100 से बढ़कर 300 हो जाएगी।

यह बात चौंकाने वाली है कि भारतीय कानून की नजर में 100 कर्मचारियों वाली फैक्टरी को बड़ी कारोबारी संस्था माना जाता है। अमेरिका में 250 कर्मचारियों से कम वाली कंपनियों को लघु जबकि 250 से 500 कर्मचारियों वाली कंपनी को मझोली माना जाता है। यहां तक कि विश्व बैंक भी 50 से 300 कर्मचारियों वाली कंपनी को मझोले आकार की कंपनी मानता है। ऐसे में जबकि हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है और कंपनियां परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हुए क्रमश: अपना आकार बढ़ा रही हैं तो यह विडंबना ही है कि उनको 100 से अधिक नियमित कर्मचारी रखने से परोक्ष रूप से रोका जा रहा है।

वर्ष 1980-81 में राजस्थान प्रतिव्यक्ति आय के मामले में देश में नीचे से दूसरे स्थान पर था लेकिन हालिया दशक में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बेहतर है और वह 'बीमारू' राज्य नहीं है। लेकिन अभी उसकी गिनती देश के तेजी से विकसित होते राज्यों में भी नहीं होती। अब इस स्थिति में बदलाव आने वाला है। बहरहाल, वसुंधरा राजे के सक्षम नेतृत्व और उनके उतने ही कुशल तथा सुधारोन्मुखी मुख्य सचिव राजीव महर्षि के नेतृत्व में परिस्थितियों में तेज बदलाव होगा। उनके कार्यकाल के शुरुआती दो वर्षों में प्रमुख सुधारों के अंजाम लेने की उम्मीद है उसके बाद अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री के पास अवसर होगा कि वह उनका भरपूर लाभ ले सकें।